

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2025	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय राजीनामे हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राजीनामे के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया है कि "हम पक्षकारान ने आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है प्रकरण में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों की पैतृक भूमि है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज सोन्या उर्फ सोनपाल की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी थी। सोन्या उर्फ सोनपाल के तीन पुत्र थे 1. रेवड 2. मूल्या 3. कन्हैया। सेटलमेण्ट विभाग द्वारा भूमि का गलत बटवारा कर दिया था जिसका उक्त रेवड मूल्या एवं कन्हैया के वारिसों ने राजीनामा कर लिया है। उक्त खसरा नम्बर 425 एवं 552 में सोन्या उर्फ सोनपाल का दर हिस्सा 1/2 मानते हुए सोन्या उर्फ सोनपाल के वारिस रेवड, मूल्या, कन्हैया के प्रत्येक के हिस्सा 1/6 है जिसके अनुसार अर्थात् रेवड के पुत्र अर्जुन, रामकिशन, श्रीकिशन, हरदेव का हिस्सा 1/6 व मूल्या के पुत्र धर्मसिंह, नाथू, बीरबल का हिस्सा 1/6 तथा कन्हैया के वारिसान मुकेश पुत्र कन्हैया, राधेश्याम पुत्र कन्हैया, बलराम पुत्र कजोड, मीरा पुत्री कजोड, रेखा पुत्री कजोड, गुलाब देवी पत्नी रामखिलाडी, महेश पुत्र रामखिलाडी, ज्ञानसिंह पुत्र रामखिलाडी शीला पुत्री रामखिलाडी का हिस्सा 1/6 रहेगा। इसलिए राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जाने की कृपा करें" पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज सोन्या उर्फ सोनपाल की खातेदारी की भूमि रही है। लेकिन हिस्से सजरा खानदान अनुसार दर्ज नहीं हो सके। अब उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि राजीनामे अनुसार हिस्सा दुरुस्त किया जावे। इसलिए राजीनामा अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि में हिस्सा दुरुस्त राजीनामे अनुसार नवीन हिस्सा दर्ज करें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें। पालना तहसीर जारी हो।</p> <p>निर्णय गेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला दौसा